



पत्रांक 313 / NOC-2089 / 16

दिनांक 4.6.2016

सेवा में,

मै0 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नवीन रिटेल आउटलेट
द्वारा श्रीमती नाजरीन पत्नी श्री मौ0 कादिर
ग्राम-दौलताबाद, मथुरा रोड, तहसील-कोल,
जनपद-अलीगढ़।

'पंजीकृत'

विषय:- पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु
निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आप अपने पत्र दिनांक 01.06.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें,
जिसमें आप द्वारा इस कार्यालय से पूर्व में निर्गत पत्रांक-956/एन.ओ.सी.-2089/13, दिनांक
18.07.2013 द्वारा जारी की गयी थी, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो गयी है। उक्त अनापत्ति प्रमाण
पत्र की वैधता बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 31.12.2017
तक बढ़ायी जाती है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय

(आर.एस. सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

Nazreen

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Aligarh

मुख्य टन्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल)
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (एम.डी.ओ.)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
एन.ओ.सी. 24 पोस्ट पकवाड़ा, मुजफ्फरगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Regional Office & Laboratory

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी

रामघाट रोड, अलीगढ़-202 001

फोन एवं फैक्स : 0571-2743521

J-1, Gyan Sarovar Colony

Ramghat Road, Aligarh-202 001

Phone & Fax : 0571-2743521

email : roaligarh@uppcb.com

पत्रांक 956/NOC-2089/13

दिनांक 18.7.13

सेवा में,

मै0 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नवीन रिटेल आउटलेट
द्वारा श्रीमती नाजरीन पत्नी श्री मौ0 कादिर
ग्राम-दौलताबाद, मथुरा रोड, तहसील-कोल,
जनपद-अलीगढ़।

विषय:- पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जो कि इस कार्यालय में दिनांक 12.07.2013 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर विचार किया गया। पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के साथ अनापत्ति स्वीकृत की जाती है-

(क) स्थल

खसरा नं0-30, ग्राम-दौलताबाद,
04-06, कि.मी. स्टोन, अलीगढ़ मथुरा रोड,
तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़।

(ख) उत्पादन

शून्य

(ग) कच्चा माल

भण्डारण एक समय में

डीजल (20 कि.ली. का एक टैंक)

पेट्रोल (20 कि.ली. का एक टैंक)

ल्यूब्रिकेन्ट (1.0 कि.ली.)

(घ) औद्योगिक उत्प्रेषण की मात्रा

घरेलू उत्प्रेषण लगभग 1.0 कि.ली./दिन

(ङ) प्रयुक्त ईंधन एवं उसकी मात्रा

15.0 के.वी.ए क्षमता के डी.जी. सेट हेतु

डीजल आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- (1) घरेलू बहिष्प्रेषण सैप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर सैप्टिक टैंक/सोकपिट में निस्तारित किया जाये।
- (2) रिटेल आउटलेट पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण एवं हरित पट्टिका विकसित की जाये।
- (3) रिटेल आउटलेट की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा कोई भी क्रिया-कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं किया जाये।
- (4) रिटेल आउटलेट द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (5) रिटेल आउटलेट द्वारा पेट्रोल/डीजल के आकस्मिक रिसाव अथवा किसी प्रकार की अवांछित घटना जैसे आग इत्यादि हेतु अग्निशमन विभाग आदि सम्बन्धित विभागों के निर्देशों के अनुरूप उचित व्यवस्था की जाये तथा ऑन साइड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार कराकर एक माह में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

(कृ.पू.उ.)

- (6) रिटेल आउटलेट द्वारा अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (7) रिटेल आउटलेट के विरुद्ध यदि प्रदूषण सम्बन्धी जन शिकायत प्राप्त होती है तो आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।
- (8) रिटेल आउटलेट में प्रस्तावित 15 के.वी.ए क्षमता के डी.जी. सेट के संचालन से उत्पन्न ध्वनि/वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उचित एकोस्टिक चैम्बर की स्थापना की जाये तथा डी.जी. सेट संचालन से उत्सर्जित उत्सर्जन की वायुमण्डल में निकासी हेतु एक चिमनी जो कि चैम्बर के छत के तल से 1.0 मीटर ऊंची हो, स्थापित की जाये तथा ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप हों।
- (9) रिटेल आउटलेट द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत अपने शपथ पत्र दिनांक 11.07.2013 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (10) रिटेल आउटलेट में विस्फोटक विभाग की निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- (11) उपरोक्त मिनी डिपो की स्थापना हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिला प्रशासन, विस्फोटक, कारखाना विभाग इत्यादि से वांछित अनुमति/लायसेंस प्राप्त कर लिया जाये।
- (12) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जाये तथा भण्डारण प्रारम्भ करने से दो माह पूर्व सहमति (जल)/सहमति (वायु) हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दिया जाये। बिना सहमति प्राप्त किये रिटेल आउटलेट का संचालन किया जाना प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियमों का उल्लंघन है तथा अवैधानिक है।
- (13) उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये, शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को बिना किसी पूर्व नोटिस के अस्वीकृत किया जा सकता है तथा इसके फलस्वरूप रिटेल आउटलेट के विरुद्ध कृत कार्यवाही का उत्तरदायित्व स्वयं रिटेल आउटलेट का होगा।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 31.07.2014 तक वैध है। शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

 (प्रमोद मिश्रा)
 क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-8), उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी